न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :151/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. कलवन्त सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति रायसिख निवासी 14 एस माझीवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 30.05.2025

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय— **दिनांक : 30.05.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 14 एस, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 63/58 में वादी के नाम 1.898 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में वादी का नाम मखन सिंह पुत्र मखन सिंह अंकित है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम कलवन्त सिंह पुत्र दलीप सिंह दर्ज है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 14 एस, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 63/58 में क्रम संख्या 4 पर अंकित नाम मखन सिंह पुत्र मखन सिंह के स्थान पर कलवन्त सिंह पुत्र दलीप सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादी के प्रार्थना पत्र के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 1224 दिनांक 27.05.2025 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 88 व भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 136 में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 14 एस की जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 2070 के खाता संख्या 55/25 में कलवन्त सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति रायसिख 1.898 हैक्टेयर दर्ज है। परन्तु जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 63/58 में कलवन्त सिंह पुत्र दलीप सिंह के स्थान पर मखन सिंह पुत्र मखन सिंह 1.898 हैक्टेयर दर्ज हो गया। मखन सिंह पुत्र मखन सिंह के स्थान पर कलवन्त सिंह पुत्र दलीप सिंह किया जाना उचित है। साक्ष्यवादी में गवाह कलवन्त सिंह, परविन्द्र सिंह, सुखजीत सिंह के द्वारा शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किए सामिल मिसल किए गए।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 14 एस, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 63/58 की प्रति, राजस्व ग्राम 14 एस, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2067 ता 2070 के खाता संख्या 55/25 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 14 एस, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 63/58 में क्रम संख्या 4 पर अंकित नाम मखन सिंह पुत्र मखन सिंह के स्थान पर कलवन्त सिंह पुत्र दलीप सिंह दर्ज करवाए जाने बाबत निवेदन किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक चक 14 एस की जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 2070 के खाता संख्या 55/25 में कलवन्त सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति रायसिख 1.898 हैक्टेयर दर्ज है। परन्तु जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 63/58 में कलवन्त सिंह पुत्र दलीप सिंह के स्थान पर मखन सिंह पुत्र मखन सिंह 1.898 हैक्टेयर दर्ज हो गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मखन सिंह पुत्र मखन सिंह के स्थान पर कलवन्त सिंह पुत्र दलीप सिंह किया जाना उचित है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136– भू–राजस्व अधिनियम–1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 14 एस, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 63/58 में क्रम संख्या 4 पर अंकित नाम मखन सिंह पुत्र मखन सिंह के स्थान पर कलवन्त सिंह पुत्र दलीप सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (जिला श्रीगंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

कलवन्त सिंह बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 151/2025

निर्णय दिनांक :- 30.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी स्वंय उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 14 एस, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू. अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 63/58 में क्रम संख्या 4 पर अंकित नाम मखन सिंह पुत्र मखन सिंह के स्थान पर कलवन्त सिंह पुत्र दलीप सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 30.05.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**00**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

दिनांकः 30.05.2025

क्रमांकः रीडर/2025/330

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर